

चयनित अभ्यर्थी के लंबित आपराधिक मामलों के सन्दर्भ में सुचना, चयनित अभ्यर्थी के चयन का कारण तथा किसी और व्यक्ति विशेष, जिसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला न लंबित हो, का चयन नहीं करने का कारण।

(माननीय उच्चतम न्यायलय के आदेश दिनांक 13.02.2020: in Contempt Petition (C) No. 2192 of 2018 in W.P.C. No. 536 of 2011 के आलोक में निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार।)

रजनीतिक पार्टी- विकासशील इंसान पार्टी

चुनाव का नाम- बिहार विधानसभा चुनाव २०२०

राज्य का नाम- बिहार

विधान सभा का नाम- 52- बहादुरगंज

अभ्यर्थी का नाम- लखन लाल पंडित

| | | |
|----------|--|---|
| क्रम सं. | | |
| 1. | लंबित आपराधिक मामले | |
| | क.) अपराध की प्रकृति | S. 323, 341, 342, 504/34 भारतीय दंड संहिता, 1860; |
| | ख.) केस न. | परिवाद सं. 1189 सी/2012 |
| | ग.) न्यायालय | एस. एन. साह, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, किशनगंज |
| | घ.) क्या आरोप विरचित किये गए हैं? | हाँ- 25.6.2018 |
| | ङ.) दोषसिद्धि की तारीख, यदि कोई | लागू नहीं |
| | च.) सज़ा, यदि कोई | लागू नहीं |
| | छ.) अन्य कोई जानकारी | लागू नहीं |
| 2. | चयनित अभ्यर्थी के चयन का कारण | अभ्यर्थी के विरुद्ध सामान्य व सर्वग्राही आरोप हैं और उनके बाइज़त बरी होने की संभावना है। अभ्यर्थी एक अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं जिसे रजनीतिक भागीदारी में एक चेहरे की अत्यंत आवश्यकता है। अभ्यर्थी ने सदैव ही अपने समाज के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रूप से कार्य किया है। |
| 3. | किसी और व्यक्ति विशेष जिसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला न लंबित हो, का चयन नहीं करने का कारण | उक्त विधान सभा क्षेत्र में चयनित अभ्यर्थी के तुलना में किसी ने अपने कर्म के निर्वाहन से अभ्यर्थी जितना प्रभाव नहीं बनाया है। |

विधान सभा का नाम- 52- बहादुरगंज

अभ्यर्थी का नाम- लखन लाल पंडित

(छोटे सहनी)

राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, विकासशील इंसान पार्टी